कार्यालय. आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन भोपाल

क्रमांक 300 /आउशि/निक/09 भोपाल,दिनांक 15/06/09

प्रति,

कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
मध्यप्रदेश

विषयः—निजी महाविद्यालयों को सम्बद्वता देने के पूर्व कालेज कोड–28 का पालन सुनिश्चित करने के संबंध मे ।

—0—

कृपया इस संबंध मे इस कार्यालय से जारी पूर्व पत्रो का स्मरण करने का कष्ट करें जिसमें यह सुस्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि किसी भी निजी महाविद्यालय को सम्बद्वता प्रदाय करने के पूर्व विश्वविद्यालय की निरीक्षण टीम यह सुनिश्चित करे कि संबंधित महाविद्यालय के द्वारा प्रवेश की प्रकिया प्रांरभ करने के पूर्व कालेज कोड–28 का पालन करते हुये पर्याप्त अर्हताधारी स्टाफ की नियुक्ति कर ली गई है ।

मेरी जानकारी मे कतिपय विश्वविद्यालयों के संबंध मे यह शिकायत प्राप्त हुई है कि कालेज कोड–28 की नियुक्ति सुनिश्चित किये बिना ही सम्बद्वता की अनुमति दी जाती है । कृपया कुलसचिवगण यह सुनिश्चित करें कि किसी भी परिस्थिति मे कालेज कोड–28 की पूर्ति के बिना किसी भी निजी महाविद्यालय को सम्बद्वता अथवा निरंतरता की अनुमति न दी जायें । यदि कोई भी शिकायत जॉच के उपरांत सही पाई गई तो कुलसचिव को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त,
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक 301 /आउशि/निक/09 भोपाल,दिनांक 15/06/09

प्रतिलिपि :—

1. निज सहायक,माननीय मंत्रीजी उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश ।
2. निज सहायक,प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त,
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश